

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक /शैक्षणिक/2020

दिनांक /03/2020

प्रति,

1. अधिष्ठाता,
पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा
2. प्रभारी अधिष्ठाता,
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर

विषय - महाविद्यालय, इन्टर्नशिप ट्रेनिंग स्थगित करने बाबत।

संदर्भ - सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 574/597/2020/38-3 भोपाल दिनांक 19.03.2020 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि उक्त आदेश के द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, महू एवं रीवा में संचालित इन्टर्नशिप ट्रेनिंग दिनांक 31.03.2020 तक के लिये स्थगित की जाती है। आगामी आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

उक्त अवधि में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के समस्त शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी संस्था में उपस्थित रहकर प्रशासनिक एवं अन्य कार्य संपादित करेंगे।

कुलपति जी के आदेशानुसार

पृ.क्रमांक 659 /शैक्षणिक/2020

कुलसचिव

दिनांक 20/03/2020

प्रतिलिपि: सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. समस्त संचालक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. लेखा नियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कार्यवाही करें।
6. कार्यपालन यंत्री, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
7. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।
8. प्रभारी अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर।


कुलसचिव